न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 88/2021

वादीगण :–

1. सोहनलाल
2. गिरधारीलाल
3. चन्द्रप्रकाश पिसरान श्री रामूराम
4. गोपाराम पुत्र श्री बींजाराम
5. जिमनादेवी पत्नी श्री पन्नाराम
6. ढगलाराम पुत्र श्री भोमाराम
7. तेजाराम पुत्र श्री बींजाराम
8. तुलछाराम पुत्र श्री बींजाराम
9. तुलछीदेवी पत्नी श्री कालूराम
10. दीपाराम पुत्र श्री दलाराम
11. पेमाराम पुत्र श्री बींजाराम
12. मंगलाराम पुत्र श्री बींजाराम
13. मुनीदेवी पत्नी श्री जगदीश
14. मोहनलाल पुत्र श्री केसाराम
15. मोहनीदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश
16. सुखाराम पुत्र श्री दलाराम
17. हडमानराम पुत्र श्री भोमाराम
   जातियान सीरवी निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.
18. भंवरलाल पुत्र श्री हिम्मताराम
19. ओमप्रकाश पुत्र श्री हिम्मताराम
20. भोलाराम पुत्र श्री हिम्मताराम
21. प्रमोद पुत्र श्री हिम्मतारा
22. चैनराज पुत्र श्री हिम्मताराम
23. इन्द्रा पुत्री श्री हिम्मताराम
24. शोभा पुत्री श्री हिम्मताराम
25. गजराई पत्नी श्री हिम्मताराम
26. नरेश पुत्र श्री दुर्गाराम जाति प्रजापत सभी निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. किसनाराम पुत्र श्री लादूराम, जाति सीरवी
2. गणकीदेवी पुत्री श्री बाबूलाल
3. जयराम पुत्र श्री बाबूलाल
4. दिनेश पुत्र श्री बाबूलाल
5. विद्या पत्नी श्री बाबूलाल
6. शोभा पुत्री श्री बाबूलाल
7. संजु पुत्री श्री बाबूलाल

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

8. सुनिता पुत्री श्री बाबूलाल, जातियान मेघवाल निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :— वादीगण की ओर से श्री डी.डी.रामावत, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 9 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :— 10/7/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 19. 2704 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है। जिसके पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 तक सहखातेदार है। उक्त भूमि ग्राम पिचियाक के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 610 पर पक्षकारान के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें वादी संख्या 1 से 3 स्व. रामूराम के वारिस है, जिनमें गवरी देवी की मृत्यु हो जाने से उनके हिस्से के समायोजन बाद वादीगण संख्या 1 से 3 का 4/96 हिस्सा है। वादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 10 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 13 का 159/6352 हिस्सा, वादी संख्या 14 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 15 का 1443/57168 हिस्सा, वादी संख्या 16 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 17 का 1/16 हिस्सा, मृतक हिम्मताराम के उतराधिकारीगण वादी संख्या 18 से 25 प्रत्येक का 1/96 हिस्सा कुल 8/96 हिस्सा, वादी संख्या 26 का 1/36 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 8 प्रत्येक का 13/16674 एवं सयुक्त रूप से 91/16674 वॉ हिस्सा है। जिस पर पक्षकारान अपने पूर्वजों के समय से मौके पर बंट माफिक काबिज चले आ रहे है एवं लगान की अदायगी करते आ रहे है एवं आपसी सहमति से मौके पर अलग–अलग काबिज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 26 की जाति प्रजापत के स्थान पर खारड़िया सीरवी तथा वादीगण संख्या 18 से 25 के पूर्वज हिम्मताराम की जाति प्रजापत के स्थान पर खारड़िया सीरवी त्रुटिपूर्वक दर्ज कर ली गयी है। पूराना राजस्व रेकर्ड इसका प्रमाण है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाकर वाद शीर्षक में दर्ज वास्तविक जाति प्रजापत राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है एवं इस आशय की घोषणा की डिक्री पाने के अधिकारी है। वादीगण अपने हिस्से की जमीन के संबंध में राजस्व रेकर्ड में जाति संवंधी दुरूस्ती करवाकर अपने–अपने बंट की भूमि पर सुधार कार्य करवाना चाहते है। जिस हेतु वादीगण की भूमि के संबंध में दोषपूर्ण राजस्व रेकर्ड के कारण वादीगण इस भूमि पर ऋण सुविधा व राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से समय समय पर काश्तकारों को दी जा रही साख सुविधा

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ऋण एवं अनुदान आदि से वंचित है। जबकि वे इस सुविधा को हासिल करने के विधिक रूप से अधिकारी है। इस बाबत् वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर बंटवाड़े व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु कई मर्तबा कहा लेकिन वे नही मान रहे है तथा इस हेतु उन्होने दिनांक 15.07.2021 को वादीगण के खातेदारी अधिकारों को इन्कार कर दिया व एलानिया कहा कि रिकार्ड अनुसार उनके बंट में जमीन नही आती, जिस पर अन्तः वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजूदा वाद पेश करने हेतु विवश होना पड़ा।

अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 से 26 को उनके हिस्से माफिक वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद शीर्षक में दर्शाये अनुसार वादी संख्या 18 से 26 की जाति दुरूस्त की जावे एवं पक्षकारान वादीगण को उनके हिस्से की भूमि माप एवं सीमांकन के आधार पर अलग बंटवाड़े में प्रदान की जावे एवं वादीगण के बंट की भूमि में उनके पृथक कब्जे में किसी भी रीति से दखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जावे। खर्चा हर्जा वाद प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण का दावा दिनांक 04.05.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5 रकबा 19.2704 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में वादी संख्या 26 की जाति खारड़िया सीरवी के स्थान पर कुम्हार (प्रजापति) घोषित की गयी एवं वादी संख्या 18 से 25 के पूर्वज हिम्मताराम की दर्ज जाति खारड़िया सीरवी के स्थान पर कुम्हार (प्रजापति) घोषित की गयी तथा उपरोक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी संख्या 1 से 3 का 4/96 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 10 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 13 का 159/6352 हिस्सा, वादी संख्या 14 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 15 का 1443/57168 हिस्सा, वादी संख्या 16 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 17 का 1/16 हिस्सा, मृतक हिम्मताराम के उतराधिकारीगण वादी संख्या 18 से 25 प्रत्येक का 1/96 हिस्सा कुल 8/96 हिस्सा, वादी संख्या 26 का 1/36 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 8 प्रत्येक का 13/16674 एवं सयुक्त रूप से 91/16674 वॉ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम पिचियाक में स्थित भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर मोहनराम पुत्र केसाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर भूमि जिमनादेवी पत्नी पन्नाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर तुलछीदेवी पत्नी कालूराम, जाति सीरवी

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर भूमि सुखाराम पुत्र दलाराम हिस्सा 1/2, दीपाराम पुत्र दलाराम हिस्सा 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर भूमि हनुमानराम पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/2, ढगलाराम पुत्र भोमाराम हिस्सा 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7943 हैक्टेयर भूमि तुलछाराम पुत्र बीजाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.8029 हैक्टेयर गोपाराम पुत्र बीजाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर गिरधारीराम पुत्र रामलाल हिस्सा 1/3, चन्द्रप्रकाश पुत्र रामलाल हिस्सा 1/3, सोहनलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 1/3 जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7943 हैक्टेयर पेमाराम पुत्र बीजाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.8030 हैक्टेयर मंगलाराम पुत्र बीजाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.8030 हैक्टेयर तेजाराम पुत्र बीजाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर किशनाराम पुत्र लादुराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर भंवरलाल, ओमप्रकाश, भोलाराम, प्रमोद, चैनराज पुत्र हिम्मताराम हिस्सा 5/8, इन्द्रा, शोभा पुत्री हिमताराम हिस्सा 2/8, गजराई पत्नी हिम्मताराम जाति कुमार सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4830 हैक्टेयर मोहनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4824 हैक्टेयर मुन्नीदेवी पत्नी जगदीश जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.5352 हैक्टेयर नरेश पुत्र दुर्गाराम, जाति कुम्हार सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.1051 हैक्टेयर जयराम, दिनेश पुत्र बाबूलाल 2/7 वॉ हिस्सा, गणकीदेवी, शौभा, संजु, सुनिता पुत्रिया बाबुलाल 4/7 हिस्सा, विद्या पत्नी बाबुलाल 4/7 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.1456 हैक्टेयर मोहनलाल पुत्र केसाराम 1/8 हिस्सा, जिमनादेवी पत्नी पन्नाराम 1/8 हिस्सा, तुलछीदेवी पत्नी कालूराम 1/8 हिस्सा, सुखाराम, दीपाराम पुत्र दलाराम 1/8 हिस्सा, हनुमानराम, ढगलाराम पुत्र भोमाराम 1/8 हिस्सा, गिरधारीराम, चन्द्रप्रकाश, सोहनलाल पुत्र रामलाल 1/8 हिस्सा, किशनाराम पुत्र लादूराम 1/8 हिस्सा, जाति सीरवी, भंवरलाल, ओमप्रकाश, भोलाराम, प्रमोद, चैनराज पुत्र हिमताराम, इन्द्रा, शौभा पुत्री हिमताराम, गजराई पत्नी हिमताराम 1/8 हिस्सा जाति कुमार सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। वंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए वंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वाद को

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/7/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
सोहनलाल व अन्य		किसनाराम व अन्य

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 88/2021

निर्णय **दिनांक :–** 10/7/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्री डी.डी. रामावत अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 9 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पिचियाक में स्थित भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर मोहनराम पुत्र केसाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर भूमि जिमनादेवी पत्नी पन्नाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर तुलछीदेवी पत्नी कालूराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर भूमि सुखाराम पुत्र दलाराम हिस्सा 1/2, दीपाराम पुत्र दलाराम हिस्सा 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर भूमि हनुमानराम पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/2, ढगलाराम पुत्र भोमाराम हिस्सा 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7943 हैक्टेयर भूमि तुलछाराम पुत्र बीजाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.8029 हैक्टेयर गोपाराम पुत्र बीजाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7969 हैक्टेयर गिरधारीराम पुत्र रामलाल हिस्सा 1/3, चन्द्रप्रकाश पुत्र रामलाल हिस्सा 1/3, सोहनलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 1/3 जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.7943 हैक्टेयर पेमाराम पुत्र बीजाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.8030 हैक्टेयर मंगलाराम पुत्र बीजाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.8030 हैक्टेयर तेजाराम पुत्र बीजाराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर किशनाराम पुत्र लादुराम, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 1.5887 हैक्टेयर भंवरलाल, ओमप्रकाश, भोलाराम, प्रमोद, चैनराज पुत्र हिम्मताराम हिस्सा 5/8, इन्द्रा, शोभा पुत्री हिमताराम हिस्सा 2/8, गजराई पत्नी हिम्मताराम जाति कुमार सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4830 हैक्टेयर मोहनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश, जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4824 हैक्टेयर मुन्नीदेवी पत्नी जगदीश जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.5352 हैक्टेयर नरेश पुत्र दुर्गाराम, जाति कुम्हार सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 5 रकबा 0.1051 हैक्टेयर जयराम, दिनेश पुत्र बाबूलाल 2/7 वॉ हिस्सा, गणकीदेवी, शौभा, संजु, सुनिता पुत्रिया बाबुलाल 4/7 हिस्सा, विद्या पत्नी बाबुलाल 4/7 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी अनुसार खसरा नम्बर 5 रकबा 0.1456 हैक्टेयर मोहनलाल पुत्र केसाराम 1/8 हिस्सा, जिगनादेवी पत्नी पन्नाराम 1/8 हिस्सा, तुलछीदेवी पत्नी कालूराम 1/8 हिस्सा, सुखाराम, दीपाराम पुत्र दलाराम 1/8 हिस्सा, हनुमानराम, ढगलाराम पुत्र भोमाराम 1/8 हिस्सा, गिरधारीराम, चन्द्रप्रकाश, सोहनलाल पुत्र रामलाल 1/8 हिस्सा, किशनाराम पुत्र लादूराम 1/8 हिस्सा, जाति सीरवी, भंवरलाल, ओमप्रकाश, भोलाराम, प्रमोद, चैनराज पुत्र हिमताराम, इन्द्रा, शौभा पुत्री हिमताराम, गजराई पत्नी हिमताराम 1/8 हिस्सा जाति कुमार सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/7/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुसाय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा